


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या ..09, 10 व 11/2017.....जिला..... उदयपुर.....

उनवान - Volkswagen Finance Pvt. Ltd. उदयपुर बनाम डीआईजी (मुद्रांक), उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.04.17	<p align="center">एकलपीठ श्री राजीव चौधरी, सदस्य</p> <p>प्रार्थी द्वारा यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 18.01.2017 जिसके द्वारा प्रार्थी के निगरानी संख्या क्रमशः 2703, 2704 व 2705/2016/उदयपुर को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिया था, के सन्दर्भ यह प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>प्रार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ललित सामर एवं विभाग की ओर से श्री जमील जई उपस्थित। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी की ओर से दिनांक 18.01.2017 को कोई भी उपस्थित नहीं होने से निगरानी सं 2703, 2704 व 2705/2016/उदयपुर अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी थी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि उनके अधिकृत प्रतिनिधि पारिवारिक कारणों से व्यस्त होने के कारण उपस्थिति नहीं हो सकें थे। विद्वान अधिवक्ता ने उक्त कारण को समूचित मानते हुए उक्त निगरानियां पुनः सूनवाई हेतु ग्रहण करने का निवेदन किया गया।</p> <p>राजस्व के अधिवक्ता द्वारा उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>यद्यपि प्रार्थी द्वारा अनुपस्थिति का कारण पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु अनुपस्थिति साशय नहीं थी, तथा प्रकरण का न्यायहित में गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण के तथ्य व परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समस्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निगरानी संख्या क्रमशः 2703, 2704 व 2705/2016/उदयपुर, सुनवाई हेतु पुनः उसी नम्बर पर दर्ज की जाये।</p> <p>रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न अपील पत्रावली रहें। मूल पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 24.05.2017 को एकलपीठ कैम्प उदयपुर के समक्ष पेश हो।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p align="right">  सदस्य 27/04/17 राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p>	